संख्या- 94 / 2026/ 729 /चार-2026-1595599

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 25 मार्च, 2026**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य ललित कला अकादमी, उ0प्र0 को गैर वेतन मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किश्त की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 4580/सं0नि0-20(ल0क0अ0/गै0वे0-02)2020-21 दिनांक 06.03.2026 एवं निदेशक, राज्य ललित कला अकादमी, उ0प्र0 के पत्र संख्या -1249/ I-507/2025-26 दिनांक 17 फरवरी, 2026 के संबंध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-340/2025/3424/चार-2025-1595599 दिनांक 08 दिसम्बर, 2025 द्वारा राज्य ललित कला अकादमी, उ0प्र0 को अकादमी के कार्यकलापों हेतु 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) आयोजनेत्तर पक्ष में प्रथम किश्त के रूप में अनुमन्य धनराशि रू0 108.25 लाख के स्थान पर त्रुटिवश **रू0 81.25 लाख** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है जो कि अनुमन्य राशि से रू0 27.00 लाख कम है।

2. अत: उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य ललित कला अकादमी, उ0प्र0 को अकादमी के कार्यकलापों हेतु 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि रू0 325.00 लाख के सापेक्ष **द्वितीय** किश्त के रूप में उक्त 27.00 लाख की धनराशि को सम्मिलित करते हुए, **रू0 135.25 लाख (रूपये एक करोड़ पैंतीस लाख पच्चीस हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्ध

(1) राज्य ललित कला अकादमी, उ0प्र0 द्वारा 01 सप्ताह में वित्तीय वर्ष 2024-25 की अंतिम छमाही तथा 2025-26 की प्रथम छमाही में निर्गत कुल धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि के साक्ष्य स्वरूप बैंक स्टेटमेंट, पत्रावली, मूल बिल बाउचर्स शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

(2) स्वीकृत धनराशि के आहरण/व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल अनुमोदित मद/योजनाओं पर किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि कोषागार से एकमुश्त आहरित करने के बजाय आवश्यकतानुसार व्यय की सीमा तक ही आहरित की जायेगी।

(5) प्रश्नगत स्वीकृति संस्कृति निदेशालय/ राज्य ललित कला अकादमी, उ0प्र0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है यदि बजट के सबंध में कोई सूचना गलत पायी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय/ राज्य ललित कला अकादमी, उ0प्र0 का होगा।

(6) यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग के मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों तथा व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के नियमों व इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।

(8) राज्य ललित कला अकादमी, उ0प्र0 द्वारा आगामी किश्त अवमुक्त किये जाने से पूर्व इस आशय का प्रमाण पत्र भी दिया जाना होगा कि विगत वर्षों में अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि अवशेष एवं अप्रयुक्त शेष नहीं है।

(9) राज्य ललित कला अकादमी, उ0प्र0 को पूर्व वर्षों में स्वीकृत /अवमुक्त अनुदान की धनराशि से सम्बन्धित स्थानीय लेखा परीक्षा/आडिट रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय से संबंधित बिल / बाउचर्स एवं सम्पूर्ण लेखा-जोखा सुरक्षित रखा जायेगा।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये **1,35,25,000.00 (रूपये एक करोड़ पैंतीस लाख पच्चीस हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 092 **लेखा शीर्षक** 2205001010600 उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ को अनुदान **मानक मद** 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-7-269-X-2025-26-दिनांक:23-3-2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
विशेष सचिव।

संख्या- 94 /2026/ 729 (1) /चार-2026- 1595599 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, राज्य ललित कला अकादमी, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।